रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1970/फाल्गुन 6, 1891
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 1970/PHALGUNA 6, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February 1970

G.S.R. 310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby appoints the 25th day of February, 1970, as the date on which the provisions of section 65 of the said Act shall come into force.

[No. F. 1/2/70-SR.]
M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1970

सा० का नि०—310—असम पुनर्संगठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1970 की फरवरी के पच्चीसवें दिन को ऐसी तारीख के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 65 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

[सं० फा० 1/2/70-एस० आर०]
मो० ग० पिम्पुटकर,
विशेष सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970